न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-38/2023

राज्य

बनाम्

रामसेवक यादव

-: आदेश :-

08/07

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 299/एम0 दिनांक 14.03.2023 एवं पत्रांक 1072/एम0 दिनांक 22.11.2022 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

यह वाद मनिका थाना से संबंधित है। राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि दिनांक 22.08.2022 को थाना प्रभारी, मनिका थाना को गुप्त सूचना मिला कि ग्राम-भटको स्थित औरंगा नदी से ट्रैक्टर द्वारा अवैध बालू लोड किया जा रहा है, जिसका जांच एवं सत्यापन हेतु पु0अ0नि0 प्रदीप कुमार राय सशस्त्र बल के साथ थाना से प्रस्थान किये। इस दौरान ग्राम-भटको स्थित औरंगा नदी के पास एक महिन्द्रा ट्रैक्टर ईंजन नं0-C05557367R1 एवं उसके ट्रॉली पर करीब 100 सी0एफ0टी0 बालू लोड पकड़ा गया। बालू के परिवहन के संबंध में कोई कागजात नहीं प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात जप्त ट्रैक्टर को सुरक्षार्थ मनिका ब्लॉक पिकेट में रखा गया। बालू खनिज के अवैध उत्खन्न एवं परिवहन के संबंधी मामले में मनिका थानान्तर्गत जप्त उक्त ट्रैक्टर के वाहन मालिक द्वारा जिला खनन कार्यालय, लातेहार को उपलब्ध कराये गये वाहन के कागजातों के आधार पर जप्त वाहन का पुनः वाहन संख्या, इंजन नं0, चेसीस नं0 आदि का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला खनन कार्यालय, लातेहार के पत्रांक 1251/एम0 दिनांक 26.12.2022 द्वारा थाना प्रभारी, मनिका थाना को पत्र प्रेषित की गयी, जिसके आलोक में थाना प्रभारी, मनिका के पत्र DR-346/23 दिनांक 24.02.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार वाहन महिन्द्रा ट्रैक्टर मॉडल 275DI रजि0 नं0-JH01L-7230 है। "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) के तहत् जप्त ट्रैक्टर रजि0 नं0-JH01L-7230 एवं उसके ट्रॉली में लदे लगभग-100 सी0एफ0टी0 बालू खनिज को राजसात की कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ट्रैक्टर रजि0 नं0-JH01L-7230 के निबंधित स्वामी रामसेवक यादव है, जो अमिरूल्लाह अंसारी को

नोटरी, लातेहार के माध्यम से दिनांक 11.09.2017 को बेच दिये हैं। अमिरूल्लाह अंसारी क्रय करने के दिन से ही ट्रैक्टर उनके कब्जे में है। अमिरूल्लाह अंसारी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उन्हें नियम की कोई विशेष जानकारी नहीं थी। इनका यह पहला गलती है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे और उचित मुआवजा देने को तैयार है। इसलिए वाहन को मुक्त किया जाय।

दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

अतः जप्त ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH01L-7230 को ट्रॉली सहित निम्नलिखित शर्तों एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है :–

1. उक्त वाहन की प्रकृति वो पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, मनिका थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार एवं विपक्षी को भेजें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 16:43:16 +05:30
Location: 192.168.164.143